Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 20-04-2005

Participants : Suman Shri Ramji Lal

Title: Need to formulate a policy permitting practice by Private Medical Practitioners registered with State/Central Medical Councils.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, प्राइवेट चिकित्सक संगठन का प्रत्येक सदस्य उ.प्र. के अलावा अन्य प्रान्तों की राजकीय चिकित्सा परिदों से पंजीकृत/सूचीकृत सदस्य हैं जो कि केन्द्रीय चिकित्सा परिद अधिनियम 1970 की धारा 17 (3) (क) (ख) के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य की परिद में नामावलीगत सदस्य सम्पूर्ण भारत के किसी भी भाग में चिकित्सा अभ्यास कर सकता है। मा. उच्चतम न्यायलय ने भी इस संबंध में इसकी पुटि की है। इस समय अकेले उ.प्र. में ही लगभग चार लाख रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो करोड़ों गरीब जनता को सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये निजी चिकित्सक सरकार के राट्रीय कार्यक्रमों, परिवार नियोजन, पल्स पोलियो, एड्स गोठियों, कुठ रोग सर्वेक्षण आदि अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान करते हैं। सरकारों द्वारा झोलाछाप डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के नाम पर इन्हीं रजिस्टर्ड मैडिकल प्र ैक्टिशनर्स के साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है, जबकि इन्हें प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। विशेाकर ग्रामीण अंचलों में जहां गरीबी है, वहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करने का काम सिर्फ यही लोग करते हैं। इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न्यायोचित नहीं है। केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे कि भविय में इनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो। यदि भूलवश रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर्स के विरुद्ध कहीं अपराध भी पंजीकृत हो गए हों तो सरकारें उनके मुकदमें अविलम्ब वापस लें।